परियोजना का नाम :— जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मंजोखी तहसील लैन्सडौन, जिला पौडी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौडी गढवाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कि0मी0 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी०) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैं0 आरक्षित वनभूमि), (5.659 है0 सिविल सोयम भूमि), (0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 5.659 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंजोखी द्वारा दिनांक 09 01 2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मंजोखी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 5.659 अयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपितत नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव वि० अधिकारी

नोटा प्रियदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 0.9/01/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थित

ग्राम पंचायत मंजोखी

कमांक	्र ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	_ हस्ताक्षर
1	महेशामन्द	अहराम्य
2	120103 PAR	Willbas Sigh
3	विताल सिंहें	वर्गाल विहर
4	यशपाल सिंह	मश्रापाल कि
5	जगदीय सिन्ह	en7/4/4/60 .
6	TIZE THE	3440108
7	- 212 Jeisneyer 5	1-12/1/21/ Z
8	्राष्ट्र सिंह राष्ट्रिक	ज्यामाहन
9	HUTHE	o Tac Smyle
10	a gal the	901 PAZ
11 -	Showestrain & chi	311211 SU
12	2103 1081	2100 1008.
13	सार्ग ।श्राह	मानू दिन ह
14	चन्द्र किया।र	न्थ्-द्र कियोर
15	Sul Zamal	mynamial
16	र्यात मुलवा देव	मामग्री विष्
17	की शांट केन्या देवी	De Son de La
18	र्दिशाह कार्जिश देवी	3110/K) 481
19	्ये गर, निही केली	19 ता ६ 9
	मिष्टा मर	साचियानर
21	TARK SIMIL	विमोद्यमाट
22	भ्रद्ध राभ	MERRIA
23	साहत ल्यावा	HIEMONIAN
24		A HIS
25		श्रीनितीं छोटी
26		प्रमुख
27		क्षत्र पचायत द्वारीखाल विञ्च० द्वारीखाल
28		शहवाल
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

परियोजना का नाम :— जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडौन

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि0मी0 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी०) (0.00 है0 आरिक्षत वनभूमि), (5.659 है0 सिविल सोयम भूमि), (0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 5.659 है0 वनभूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक अरिश को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किन्युक्ती, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति

F/MANOJ PANWART OREST MEETING FOREST/FRA & O/MANJOKHI/MANJOKHI2 DOCX

तहसील

श्री केली है। देनी बीठडी०सी० क्षेत्र

वि०ख० द्वारीखाल वि०ख० द्वारीखाल गढवाल ग्राम पंचायत वि० अधिकारी ग्राम पंचायत वि०ख0 उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कि0मी0 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) परियोजना हेतु. 5.659 हे0 वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि0मी0 57.00 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 5.659 है0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की ग्यी।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष व (गढ़बाब) उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— लैन्सडौन जनपद— पौडी गढवाल

प्रतिलिपि: - जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुष्कर सिंह राजस्व ज्यानिरीक्षक ण्टब छिट ६१० में तहसास जो

उप जिलाधिकारी अध्यक्षे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- लैन्सडौन जनपद- धौडी गढवाल

FORM 1 (for linear projects) Government of India Office of the District Collector Pauri

No. 1212 26-502170 3/60 (FINITED 5211 HT) 2018 Dated 2/2/18

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for nonforest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.659 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Manjokhi Villages(s) in Lansdowne tehsils.

- (a) The complete process for identification and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.659 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **1** to annexure **4**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manged by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not invovle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

FORM 1 (for project of other linear projects) Government of India Office of the District Collector Pauri

No. 1212 26-90 am 318 0 (AIHI-4 921147) 2018 Dated 212/18

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 5.659 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of Rural Development Deparmtment (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Manjokhi villages(s) in Lansdowne tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.659 hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in verncular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diverision and the compensation and amelioratie measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of Manjokhi villages(s) is enclosed as annexure annexure 1 to annexure 4.
- (d) The discussion and dicision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities manged by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The Right of primitive travel group and pre agriculture communities wheh applicable have been specifically safeguarded as per saction 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar) District Collector Garhwal Pauri Garhwal

ANNEXURE

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT:- GARHWAL PAURI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri

Dated: 212 1.8.

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

गढ़वाल

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of K.M 57.00 TO2 (ODR) to Manjokhi Motor Road (7.600 K.M) regarding FRA is as following:

Ser. No.		Remark	
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 5.659 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest	
(b)	facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate	
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre- agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	

बीमती छोटी देसी

जिला पंचित्रित सदस्य

ज्ञुठ द्वाराखाल गढ्वाल श्रीमति कूसुम बिष्ट जिला प्रचित् प्रदेश 1 मंजोखी अपूर्णित चांदपुर जिला –पौड़ी गढ्वाल उत्तराखण्ड

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० कोटद्वार पौडी (गढ़वाल)

जिला समाज कल्याण अधिकारी पौडी गढवाल प्रभागीय वनाधिकारी भू**प्रभागीय वनाप्रमागी** भूमि संरक्षण्त्रक्षिण वनाप्रमागरी

> (सुशील कुमार) जिलाभिकारी गढिवाल

प्रभागीय वनाधिकारी असि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौंन